छत्तीसगढ़ के किसानों को सौगात देते हुए 20 ज़िलों में ग्रामीण स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया...इस योजना को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के ज़रिए अमल में लाया गया... फसल बीमा योजना के अंतर्गत बुआई न हो पाने पर, कटाई के बाद के नुकसान या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर किसानों को राहत दी जा रही है.. योजना का लाभ सभी ऋणी और अऋणी किसान उठा सकते हैं... योजना के तहत चना, अलसी, राई, सरसों, गेहूं सिंचित और गेहूं असिंचित जैसी फसलों को शामिल किया गया है...

किसान प्राथमिक सहकारी समिति, ग्रामीण और व्यवसायिक बैंकों की शाखा, CSC जन सेवा केंद्र और केंद्र सरकार के फसल बीमा पोर्टल के ज़रिए बीमा करवा सकते हैं।

ज़्यादा जानकारी के लिए 1800116515 या 0771-4316022 पर संपर्क करें।